<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सामाजिक सुरक्षा योजनायें समाज के दुर्बल वर्ग जैसे बुजुर्ग, बच्चे, इत्यादि को मूलभूत स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती हैं। भारत सरकार नागरिकों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनायें देती है। आई आई टी (IIT) दिल्ली और आई सी एस एस आर (ICCSR) ने इन योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए 10 राज्यों में एक सर्वेक्षण का आयोजन किया ।

इस सर्वेक्षण के अनतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ(आंगनवाडी), मध्याहन भोजन, MGNREGA (नरेगा), सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया गया। ये सब योजनायें साथ मिलकर हर नागरिक को बचपन से बुढ़ापे तक एक सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं । इस सन्दर्भ में 7 सदस्यीय टीम ने हिमाचल प्रदेश के दो जिलो के आठ गाँव का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान इस दल ने विद्यालय और आंगनवाडी केन्द्रों का दौरा किया और घरों में जाकर गाँव के लोगों का साक्षात्कार लिया । इसके अलावा गाँव में बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करके स्थिति को समझने का प्रयास किया गया । सर्वेक्षण दल में 6 छात्र और PAPN के एक कार्यकर्ता शामिल थे ।

हिमाचल प्रदेश को व्यापक रूप से एक अच्छी और क्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। जबकि 5 में से 4 योजनाओं में हिमाचल की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है, राज्य में नरेगा की हालत काफी ख़राब पायी गयी। हमने देखा कि आवेदन प्रक्रिया की अनभिज्ञता और जागरूकता की कमी मजदूरों को नरेगा के तहत अपने अधिकार पाने से वंचित कर रही हैं ।

सर्वेक्षण दल ने अपना कार्य कुल्लू जिले से प्रारंभ किया और इसके पश्चात सिरमौर जिले में अध्ययन किया। मध्याहन भोजन और समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के प्रभाव एवं व्याप्ति को देखने के लिए आगंवादी केन्द्रों और स्कूलों का दौरा किया गया और एक सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आई। परिवारों ने हमे गर्भवती महिलाओं के लिए सूखा राशन और दवाइयां मिलने की सूचना दी । सिरमौर जिले के एक गाँव को छोड़कर बाकी सारे आंगनवाडी केंद्र अच्छी तरह से कार्य करते हुए दिखाई दिए । यद्यपि बच्चों के लिए पढाई व खेल की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही थी, सर्वेक्षण दल को लगा कि आंगनवाडी सेवकों को इसमें और अधिक प्रशिक्षण देकर अधिक निपुण बनाया जा सकता है। माता-पिता को भी अपने बच्चों को अधिकाधिक आंगनवाडी भेजने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।

मध्याहन भोजन नियमति रूप से स्कूलों में दिया जा रहा है। आमतौर पर स्कूल में दिया गया खाना शुद्ध एवं पौष्टिक पाया गया। सभी गाँव में एक स्कूल प्रबंधन समिति(SMC) का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम का निरीक्षण करती है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने इस योजना की वजह से शिक्षण गतिविधियों में

बाधा पड़ने की बात कही, परन्तु लगभग सभी शिक्षकों ने माना की इस योजना की वजह से बच्चों के पोषण में बढ़ोतरी हुई है और ये योजना जारी रहनी चाहिए। अभिभावकों ने भी इस योजना के जारी रहने की इच्छा जाहिर की, जिससे गरीब परिवार के बच्चों को पोषक भोजन मिलता रहे ।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण दल ने देखा कि राशन की दुकानें और डिपो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार की दाल और सरसों का तेल भी राशन की दूकान द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जबकि गेहूं तथा चावल का वितरण एवं गुणवत्ता अच्छी है, उत्तरदाताओं ने दाल और चीनी की कमी की शिकायत की। शायद ही किसी ने केरोसीन प्राप्त होने की सूचना दी। कुछ परिवारों ने आरोप भी लगाया की केरोसीन की कालाबाजारी की जाती है, परन्तु सर्वेक्षण दल को इस निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। सर्वेक्षण दल ने लोगों से उनके भोजन के बारे में भी पूछा और पाया की लोग पौष्टिक और संतुलित आहार खा रहे हैं।

टीम ने प्रायोजित नकद हस्तांतरण योजना के बारे में भी उत्तरदाताओं से विस्तार में चर्चा की। नकद हस्तांतरण योजना के अंतर्गत परिवारों को राशन की जगह बाजार से राशन खरीदने के लिए नकद राशी बैंकखाते में दिया जाना प्रस्तावित है। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार अधिकतम उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन किया। इस निर्णय के लिए बैंक की दूरी, कई चक्कर काटने की परेशानी और राशन के पैसे कहीं और खर्च हो जाने की संभावना जैसे कई कारण उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए।

इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं का जायजा लिया गया। हालाँकि सभी पेंशनधारियों को पेंशन हर तीन महीने में समय पर मिल जाती है, पेंशनधारियों ने राशि बढ़ाये जाने की मांग की क्योंकि दी गयी राशि उनके खर्चों के लिहाज से अपर्याप्त है। पेंशनधारियों की पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दवाई और स्वस्थ्य की देखभाल पर खर्च होता हुआ पाया गया। सिरमौर जिले में एक समस्या ये देखने को मिली की पेंशनधारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए डाकघर जाना पड़ता है, जबकि कुल्लू जिले में पेंशन का वितरण डाकिये द्वारा घर-घर जाकर किया जाता है।

सर्वेक्षण में सामने आये सकारात्मक पहेलुओं की चर्चा के बाद हम उन क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहते हैं, जहां अभी भी सुधार की आवश्यकता है। हमने पाया की सरकार और कर्मचारियों के प्रयासों के बाद भी कई उपयुक्त बुजुर्ग पेंशन सूची से बाहर हैं। जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई निर्धारित साधन नहीं है और जिन्हें उनके बच्चों ने त्याग दिया है, उनके लिए पेंशन सूची से बाहर रहना एक बड़ी परेशानी का स्रोत है। इसी तरह कई जगहों पर सर्वेक्षण दल को बताया गया कि BPL सूची का निर्धारण चुनाव के समय किये गए मतदान के आधार पर होता है, न कि परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर। पेंशन और राशन दोनों ही के दृष्टिकोण से ये एक गंभीर समस्या है और इसकी भली प्रकार से जांच करना आवश्यक है।

टीम के लिए ये देखना निराशाजनक था की जाति के आधार पर भेदभाव हिमाचल प्रदेश में बहुत व्यापक और प्रचलित है। कई परिवारों ने मध्याहन भोजन के समय सभी जातियों के बच्चों के साथ बैठने पर आपत्ति व्यक्त की। इसके अलावा कई बार अनुसूचित जाति के बच्चे आंगनवाडी की सुविधाओं से वंचित पाए गए। या तो उन्होंने स्वेच्छा से आंगनवाडी जाना छोड़ दिया था, या आंगनवाडी सेविका उनके घर नहीं जा रही थी।

नरेगा की स्थिति हिमाचल में काफी ख़राब प्रतीत होती है और सर्वेक्षण मे हमने पाया कि सभी स्थानीय भागीदारों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई परिवारों के पास उनके खुद के जॉबकार्ड नहीं पाए गए। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवारों को खुद इस बात का पता नहीं चल पाता कि उनके जॉब कार्ड में नकली प्रविष्टियाँ चढ़ाई जा रही हैं। नरेगा के बारे में जानकारी महिलाओं और अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में विशेष रूप से कम पायी गयी। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन पाया गया, जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इस प्रथा का प्रचलन विशेष रूप से सिरमौर में पाया गया, जहां लोगों ने हमें बताया कि उनके जॉबकार्ड पर या तो नकली प्रविष्टियाँ चढ़ा दी जाती हैं या दिनों की संख्या को बढाकर लिख दिया जाता है। जब वो पैसा लोगों के बैंक जमाखाते में आता है, तो ठेकेदार उसका एक मामूली हिस्सा जोबकार्डधारी को देकर, बाकी पैसा स्वयं रख लेते हैं।

हिमाचल प्रदेश में दल के सामने आये ये तथ्य अत्यंत चिंताजनक थे। इसलिए सिरमौर जिले में शिलाई ब्लॉक के मटियाना गाँव में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए पंचायत के ग्राम रोज़गार सेवक, श्री वेद प्रकाश जी को आमंत्रित किया गया। वेद प्रकाश जी ने नरेगा से सम्बंधित सभी प्रक्रियाएं गांववासियों को समझाई और संभावित भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में बताकर ग्रामवासियों को सचेत भी किया। उन्होंने ग्राम वासियों को इस क़ानून के अंतर्गत अधिक से अधिक काम के आवेदन करने के लिए प्रेरित भी किया। इस बैठक में ये भी बताया गया की गाँव को समृद्ध बनाने में नरेगा कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। इस सम्बन्ध में दल के एक सदस्य और PAPN के स्थानीय कार्यकर्ता श्री सुभाष तोमर ने भी नरेगा कानून के बारे में लोगों को बताया। इस बैठक के अंत में कई लोगों ने लिखित रूप से नरेगा में काम करने की इच्छा जाहिर की। उल्लेखनीय है की इस बैठक में महिलाओं और अनुसूचति जाति के लोगो ने भी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी समस्याएँ ग्राम रोज़गार सेवक तक पहुंचाई।

हिमाचल प्रदेश सर्वेक्षण दल के सदस्य छात्र थे- उज्जैनी शर्मा, शिखा नेहरा, प्रांजल, कंवलजीत सिंह, यान यी फ़े और दीपक वसिष्ट। इसके अलावा PAPN के कार्यकर्ता श्री सुभाष तोमर जी दल के स्थानीय साथी थे।